कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, फतेहपुर

पत्रांक –2707 /27–4 फतेहपुर , दिनांक – 2 /04/2022

सेवा में,

चीफ रीजनल मैनेजर,
इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 कानपुर पार्ट फतेहपुर एवं हमीरपुर,
808–810, 8वां तल ए 14/113 कान चैंबर सिविल लाइन्स,
कानपुर।

विषय :– जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा अन्तर्गत चौडगरा–घाटमपुर–भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–46) के कि.मी. 82.000 से कि.मी. 64.000 कुल लम्बाई 18.00 किमी में एच.डी.डी तकनीकी/ओपेन ट्रेंच के माध्यम से भूमिगत 12" (300एम.एम) व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने में प्रभावित 0.90 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्र संख्या –पी 301/81–2–2021–800(20)/2022 दिनांक 28.03.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोड़ल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 2753/11–सी दिनांक 30.03.2022।

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव में सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्र संख्या –पी 301/81–2–2021–800(20)/2022 दिनांक 28.03.2022 (छायाप्रति संलग्न है) द्वारा 21 बिन्दुओं के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या –09 के अनुपालन में प्रभावित सरक्षित वन भूमि 0.90 का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की धनराशि 862002.00 (रुपया आठ लाख बांसठ हजार दो मात्र) ऑन लाईन चालान के माध्यम से जमा करते हुये उसकी रसीद एवं शर्त –13 के क्रम में जिलाधिकारी, फतेहपुर द्वारा निर्गत वन अधिकार अधिनियम 2006 का प्रमाण पत्र (मूल में) सहित समस्त बिन्दुओं की अनुपालन आख्या मय ऑन लाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करवाते हुये उसकी हार्ड कापी पांच प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे कि प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक :– यथेपरि।

(रामानुज त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

Scanned with CamScanner

Proposal No. : FP/UP/Pipeline/148458/2021

शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V) की धनराशि की गणना

संशोधित दरों के आधार पर

इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत चौडगरा–घाटमपुर–भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–46) के कि.मी. 82.000 से कि.मी. 64.000 कुल लम्बाई 18.00 किमी एवं 0.90 हे0 संरक्षित वन भूमि में एच.डी.डी तकनीकी / ओपेन ट्रेंच के माध्यम से भूमिगत 12" (300एम.एम) व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.90 हे0 भूमि की शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना निम्न है :–

1. प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल :– 0.90 हे0
2. ईको क्लास :– 03
3. प्रभावित वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व :– 0.1
4. उपरोक्त इको क्लास एवं वानस्पतिक घनत्व वाले वन भूमि का शुद्ध वर्तमान दर :– **रु0 9.57780 लाख प्रति हे0**
5. प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य :– **0.90 X 957780.00**
   = **862002.00**
   (रुपया आठ लाख बांसठ हजार दो मात्र)

उपरोक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी। तथा भविष्य में यदि उक्त दर में कोई बढ़ोत्तरी होगी तो तद्नुसार धनराशि देय होगी।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
फतेहपुर

Scanned with CamScanner

संख्या-पी-301/81-2-2021-800(20)/2022

प्रेषक,

आशीष तिवारी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 28 मार्च 2022

विषय- जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 द्वारा चौडगरा-घाटनपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्यास-46) के किमी0 82.00 से किमी0 64.00 कुल लम्बाई 18.00 किमी0 में एच0डी0डी0 तकनक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12'' (300 एमएम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाईप लाइन बिछाने में प्रभावित 0.90 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-एफपी/यूपी/पाईपलाईन/148458/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-1510/11-सी/एफपी/यूपी/पाईपलाईन/148458/2021 दिनांक 16.11.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के दिशा-निर्देश के चैप्टर-4 के बिन्दु-4.2 तथा पत्र संख्या-एफसी-11/165/2019/एफसी दिनांक 27.07.2020 पत्र संख्या-II/एफसी/आरओसी/95-2015(पार्ट-VI) दिनांक 22.11.2021 एवं पत्र दिनांक 03.11.2021 में विहित प्राविधानों के क्रम में जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 द्वारा चौडगरा-घाटनपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्यास-46) के किमी0 82.00 से किमी0 64.00 कुल लम्बाई 18.00 किमी0 में एच0डी0डी0 तकनक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12'' (300 एमएम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाईप लाइन बिछाने में प्रभावित 0.90 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति विषयक प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
2	भूमिगत गैस पाइपलाइन/मार्गो/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।
3	गैस पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज 2.00 मी0 गहराई 1.00 मी0 चौड़ाई से अधिक न होगी।
4	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
6	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।

Scanned with CamScanner

J523/2022

7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।
9	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
11	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
12	भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते हैं।
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।
15	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।
16	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
17	परियोजना में 12 इंच डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।
18	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
19	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में गैस पाईप लाइन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
20	यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रयोक्ता एजेंसी के पास गैस पाईप लाइन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा इस कार्य के लिए उन्हे सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो। उक्त शर्तो के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

0523/2022

File No.8[illegible]

21	प्रश्नगत अनुमति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की सिफारिश/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Signed by आशीष तिवारी,
Date: 28-03-2022 13:33:23
Reason: Approved

(आशीष तिवारी)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

(1)- उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार, लखनऊ।

(2)- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी वृत्त प्रयागराज।

(3)- जिलाधिकारी, फतेहपुर।

(4)- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फतेहपुर।

(5)- चीफ रिजनल मैनेजर इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 कानपुर पार्ट फतेहपुर एवं हमीरपुर 808-810 सिविल लाइन्स कानपुर।

(6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 2753 /11–सी–FP/UP/Pipeline/148458/2021, लखनऊ, दिनॉकः मार्च 30 , 2022

<u>प्रतिलिपिः–</u> वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 वृत्त, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के कम में प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्वान्तिक स्वीकृति की **बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर, इस कार्यालय के द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अभिलेखों सहित तीन प्रतियों** में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>प्रतिलिपिः–</u> प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, फतेहपुर को इस आशय से प्रेषित कि सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के कम में, प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्वान्तिक स्वीकृति **बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर, इस कार्यालय के द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अभिलेखों** तथा उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 14.06.2017 के अनुपालन के क्रम में, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के पूर्णतः अनुपालन की स्थिति प्राप्त किये जाने हेतु स्थलीय जाँच करते हुये सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र/उल्लंधन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र सहित सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों मे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>प्रतिलिपिः–</u> चीफ रिजनल मैनेजर, इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 कानपुर (पार्ट) फतेहपुर एवं हमीरपुर 808–810, 8वां तल ए 14/13 कान चैबेंर सिविल लाइन्स कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये **भारत सरकार के निर्देशानुसार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर** विन्दुवार अनुपालन आख्या एवं सम्बन्धित अभिलेख प्रभागीय निदेशक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Scanned with CamScanner